

आंतरिक राजस्व संहिता 501 (आर) के अनुसरण में

नीति

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना उस समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसकी यह सेवा करता है जिसमें कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे मरीज भी शामिल हैं, और उनको जनिक लिये आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और आवश्यक चिकित्सकीय अस्पताल सेवाएँ प्राप्त करना सदिध हो गया है के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस नीतिकी शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा मेयो क्लीनिक अन्य सहायता प्रदान करता है जिसमें शामिल है उन सेवाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना भुगतान न करने की स्थिति में मेयो क्लीनिक के बलिगि और संग्रह नीति में वर्णित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इस नीतिकी एक मुफ्त प्रतिलिपि www.mayoclinic.org/financialassistance पर जाकर या 1-800-603-0558, पर फोन करके 08:00 बजे सुबह से 17:00 बजे शाम पर्वतीय समय तक, सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त की जा सकती है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना असाधारण संग्रह कार्यों में शामिल नहीं होगा इससे पहले किये एक मरीज इस नीतिके अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक उचित प्रयास नहीं करता है।

उद्देश्य

यह नीति गैर-बीमति और कम-बीमति मरीजों के लिए एक नृषिपक्ष और सुसंगत वधि को स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि ऐसे मरीज ही आपात स्थितियों और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय अस्पताल की देखभाल से संबंधित सेवा के लिए वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करे और उस पर विचार हो। कृपया ध्यान दें कि मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना में सभी चिकित्सा सेवाएँ इस नीतिके अधीन सहायता के योग्य नहीं हैं। वित्तीय सहायता में घरेलू आय और संपत्ति के आधार पर मुफ्त या रियायती देखभाल शामिल है जिसका उल्लेख आवेदन प्रक्रिया में किया जाना आवश्यक है। वित्तीय सहायता अस्पताल द्वारा प्रदत्त सेवाओं के सकल प्रभार के छूट पर आधारित है जिसमें मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना में वित्तीय सहायता के योग्य निर्धारित लोगों के लिए 60% न्यूनतम छूट का प्रावधान किया गया है।

परिभाषाएँ

Aआवेदक: मरीज या अन्य व्यक्ति जो वित्तीय सहायता चाहने वाले मरीज की देखभाल के भुगतान के लिए जम्मेदार है।

आवेदन की अवधि: यह चिकित्सा देखभाल प्रदान किए जाने की तिथि से शुरू होता है और पहले पोस्ट-डिस्चार्ज बलिगि स्टेटमेंट के 240 दिनों या 30 दिनों के बाद समाप्त होता है, जब अस्पताल या अधिकृत तृतीय पक्ष लिखित रूप में असाधारण वसूली कार्रवाई की लिखित सूचना दी जाती है जिसे अस्पताल आरंभ करने की योजना बना रहा है, जो कोई भी बाद में हो।

अप्राप्य ऋण: उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की लागत जो चिकित्सा बिलों के सम्पूर्ण या कुछ भाग का भुगतान करने में सक्षम तो हैं, लेकिन तैयार नहीं हैं।

वित्तीय सहायता: इस नीति में वर्णित पात्रता के नियमों के आधार पर व्यक्तियों को मुफ्त या रियायती देखभाल प्रदान करने की लागत जो अस्पताल के मेडिकल बिल के सम्पूर्ण या एक भाग का भुगतान करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएँ प्रदान किए जाने से पहले या बाद में भुगतान करने में असमर्थता का निर्धारण कर सकता है।

सकल प्रभार: मरीजों को प्रदत्त चिकित्सा देखभाल के लिए पूर्ण स्थापित मूल्य।

आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल: एक बुद्धिमान चिकित्सक किसी बीमारी, चोट, रोग को रोकने, नदिन करने, या इसके लक्षणों के उपचार के उद्देश्य से एक मरीज को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ या उत्पाद इस तरीके से प्रदान करेगा जो कि:

- चिकित्सा पद्धतिके सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के अनुसार होगा;
- प्रकार, आवृत्ति, सीमा, स्थल और अवधि के मामले में चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त; और
- मुख्य रूप से स्वास्थ्य योजनाओं और क्रेताओं या रोगी की सुविधा के लिए, उपचार करने वाले चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के आर्थिक लाभ के लिए नहीं।

स्वयं भुगतान शेष: सेवाओं की प्राप्तिके बाद सेवा प्रदाता या अस्पताल को देय राशिका भुगतान करने के लिए और सभी अन्य भुगतान विकल्प या प्रतिलिपि विधियाँ समाप्त हो जाती हैं।

इस नीति के अंतर्गत आने वाले प्रदाता

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना कैम्पस में देखभाल प्रदान करने वाले मेयो के साथ कार्यरत सभी चिकित्सा प्रदाताओं को इस पॉलिसी के अधीन कवर किया गया है।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक के पूरण सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:

1. सभी उपलब्ध सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना, चिकित्सा सहायता सहित या मेडिकेड, और एक हस्ताक्षरित प्राधिकरण और सेवा शर्तों का प्रपत्र जो मेयो क्लीनिक अस्पताल को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है;
2. सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित वित्तीय सहायता आवेदन का समापन;
3. पछिले कर वर्ष के लिए संघीय नर्धनता दशानर्देश में वर्णित नियमों के आलोक में वार्षिक घरेलू आय और परिवार के आकार मानदंडों को पूरा करें; संघीय नर्धनता दशानर्देश के अनुसार 400% तक घरेलू आय वाले आवेदकों के लिए स्वयं भुगतनेय शेष राशि के 60% का समायोजन; या संघीय नर्धनता दशानर्देश के अनुसार 200% के बराबर या इससे कम घरेलू आय वाले आवेदकों के लिए स्वयं भुगतनेय शेष राशि के 100% का समायोजन; और
4. सभी उपलब्ध परसिंपत्तियों के आधार पर सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थता का प्रदर्शन।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिनमें स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करना आवश्यक है परंतु जो ऐसा नहीं करते हैं, या जो लोग धार्मिक कारणों से बीमा कवरेज प्राप्त करना अस्वीकार कर देते हैं, सरकारी सहायता योजना सहित। अनेकों आवेदकों को पता नहीं है कि वे सरकारी सहायता योजना के लिए योग्य हो सकते हैं या उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिना एक सीमिति अवधिक कोबरा (सीओबीआरए) प्रीमियम का भुगतान करने पर विचार कर सकता है यदि एक मरीज को अन्य रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाएगी। यदि एक आवेदक कोबरा (सीओबीआरए) प्रीमियम के भुगतान के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के बारे में मेयो क्लीनिक अस्पताल-एरजिना के साथ सहयोग करने में असफल रहता है, तो मेयो क्लीनिक अस्पताल- एरजिना वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल-एरजिना बीमा कंपनियों और अन्य तृतीय पक्ष दाताओं से राशि एकत्र करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

नई खोज से प्राप्त सूचनाओं जैसे बीमा कवरेज या आवेदक को भुगतान, प्रश्नगत सेवा से सम्बंधित व्यक्त चोट के लिए दावा प्राप्त करने की कोशिश करना, आदिके परिणामस्वरूप, मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना वित्तीय सहायता को वापस लेने और उसके के लिए उपयुक्त प्रतिएतिया संग्रह का अधिकार सुरक्षित रखता है। वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बाद मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना द्वारा प्राप्त सभी भुगतान के परिणामस्वरूप समायोजित राशियों का व्युत्क्रम शुरू होगा ताकि भुगतनेय शेष राशि (बैलेंस) या एक क्रेडिट बैलेंस का निर्माण किए बिना बाकी बचे स्वयं-भुगतनेय राशियों को समायोजित किया जा सके।

आपातकालीन विभाग में देखभाल प्राप्त कर रहा वित्तीय संसाधन-वहिन मरीज वित्तीय सहायता का पात्र हो सकता है यदि वह बेरोजगार है या उसका कोई स्थायी पता या बीमा कवरेज नहीं है। आवश्यक आवेदन दस्तावेजीकरण तक पहुंच के बिना जरूरतमंद मरीज अभी भी वित्तीय सहायता का पात्र हो सकता है।

सेवा-पूर्व वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीजों को एक उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करने या बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा जैसा कि उनकी प्रारंभिक स्थिति से स्पष्ट होता है या उनकी देखभाल टीम का निर्देश होता है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना देखभाल जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है; हालांकि मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना अपने विकासकार के आधार पर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा और सहयोग जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं, उसे नरितर उपलब्ध कराया जा सकता है। मरीजों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रत्येक 180 दिनों के बाद फिर से आवेदन करना होगा।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना और उसके सहयोगी संगठन मरीजों के लाभ और कई स्थानों पर देखे गए मरीजों के वित्तीय सहायता का प्रबंध करने में सुगमता के लिए मेयो क्लीनिक संबद्ध साइटों में मरीजों की वित्तीय सहायता के बारे में सूचनाओं को आपस में साझा कर सकते हैं। कोई सूचना मेयो क्लीनिक के बाहर साझा नहीं की जाएगी जब तक अधिकृत या कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की वधि

वित्तीय सहायता की पेशकश या तो एक आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से या चिकित्सा सहायता के लिए वर्तमान पात्रता के आधार पर या अन्य सरकारी आवश्यकता आधारित सहायता द्वारा की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक आवेदक या तो आवेदन फार्म के लिए अनुरोध करें या नःशुल्क आवेदन फार्म डाउनलोड और प्रिंट कर उसे भरें। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना, अपूरण आवेदनों के आवेदकों को सूचित करेगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों या निर्दिष्ट सूचनाओं को भरने के लिए निर्देश देगा जिसे 30 दिनों के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र आवेदन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिना रेवेन्यू साइकलि के कर्मचारी आवेदन की समीक्षा करेंगे और प्रदान किए जाने वाले वित्तीय सहायता का निर्धारण भी करेंगे। आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया में लगभग 30 दिनों का समय लगता है। वित्तीय सहायता के लिए एक बार निर्णय लेने के बाद, आवेदक को लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा जाएगा।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र नमिन् वेबसाइट पर नःशुल्क उपलब्ध है:

www.mayoclinic.org/financialassistance

आवेदन पत्र नमिनांकित पते से लिखित अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है:

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना पेशेंट अकाउंट सर्विस
5777 ई. मेयो बीएलव्हीडी
फीनक्स, AZ 85054

आवेदन पत्र मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना एडमिशन, बज़िनस, सर्विसि डेस्क लोकेशन और आपातकालीन विभाग में भी उपलब्ध है।

वित्तीय सहायता नीति और आवेदन सहायता नमिनांकित पर उपलब्ध है:

होम पेज से लॉग इन पेशेंट अकाउंट में जाकर और www.mayoclinic.org चयन कर पेशेंट पोर्टल को सुरक्षित करें।

आप 1-800-603-0558 कॉल कर सकते हैं या एक व्यापार कार्यालय स्थान पर जा सकते हैं:

मेयो क्लीनिक - आउट पेशेंट क्लिनिक, स्काट्सडेल कैम्पस

मेयो क्लीनिक - स्पेशलिटी बिल्डिंग, फीनक्स कैम्पस

मेयो क्लीनिक हॉस्पिटल - एरजिना, 5777 पूर्व मेयो बुलेवार्ड, फीनक्स, एजेड

मरीजों से वसूल किए जाने वाले शुल्कों की गणना के लिए आधार

सभी मरीजों को सकल वसूल किए जाने वाली राशि के अनुसार बिल भेजा जाता है; हालांकि वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज का स्वयं भुगतान शेष, समान देखभाल के अंतर्गत कवर किए गए हैं, उन लोगों के लिए आम तौर पर बिल की राशि (एजीबी) तक सीमित है। प्रस्तुत सकल प्रभार द्वारा सेवा और वाणज्यिक और नजि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए चिकित्सा शुल्क द्वारा अनुमति राशि को विभाजित करते हुए मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना एजीबी की गणना करने के लिए एक वापस देखने की विधि का उपयोग करता है। वह राशि जिसके मरीज द्वारा अपनी जेब से भुगतान की अपेक्षा की जाती है वह सकल प्रभार के एजीबी प्रतिलिपि तक सीमित रहता है यदि मरीज को वित्तीय सहायता के लिए योग्य पाया जाता है। बीमा भुगतान और मरीज या आवेदक को भुगतान का संयोजन एजीबी से अधिक हो सकता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना एजीबी के बारे में आप या तो 1-800-603-0558 फोन करके या हमारी वेबसाइट से नःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं या मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिना एजीबी और हमारी वेबसाइट पर एजीबी गणना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आपातकालीन सेवाएं

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना और आपातकालीन चिकित्सा उपचार और शर्म अधिनियम (ईएमटीएलए) के अनुपालन में, मरीजों की स्थिति को स्थिर करने के लिए चिकित्सा स्क्रीनिंग जाँच और आपातकालीन देखभाल प्रदान करता है। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना ऐसे किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाता है जो लोगों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की मांग करने से हतोत्साहित करता है और आपातकालीन विभाग में ऋण वसूली का कार्य नहीं करता है।

समान अवसर

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना अनेकों संघीय और राज्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जाति, लिंग, आयु, धर्म, राष्ट्रीय उत्पत्ति, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, वकिलांग, सैन्य सेवा या संघीय, राज्य या स्थानीय कानूनों के द्वारा संरक्षित किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

गोपनीयता

मेयो कर्मचारी प्रत्येक रोगी की गोपनीयता और व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखेंगे। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिना और इसके सभी सहयोगी संगठन नजि चिकित्सा, स्वास्थ्य और वित्तीय सूचनाओं के प्रबंधन के लिए एचआईपीए आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।